निगरानी प्रकरण क्रमांक :-

प्रस्तुति दिनांक :-

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

R1248PBR/99

सरलाबाई पति प्रहलाद जी शर्मा
निवासी-ग्राम अम्झेरा, तहसील सरदारपुर
जिला - धार (म० प्र०) ------ प्रार्थिनी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
श्री जिलाधीश महोदय, जिला धार ------ प्रतिप्रार्थी

वाद :- भूमि विनियम संबंधी ।

श्री इकबाल एहमद आय. ए. एस., आयुक्त इंदौर संभाग, इन्दौर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 4/98-99 में पारित आदेश दिनांक 4.5.99 से असंतुष्ट एवम् दुःखित होकर प्रार्थिनी ने यह निगरानी निम्न तथा अन्य आधारों पर नियत समयावधि में प्रस्तुत करती है -

आयुक्त इन्दौर के पत्र क्र० 1216/99 दिनांक 23-7-99 द्वारा इन्दौर कैम्प पर प्राप्त / 23-7-99

प्रकरण का संक्षिप्त में घटनाक्रम

प्रकरण का संक्षिप्त में घटनाक्रम इस प्रकार है कि प्रार्थिनी ने एक आवेदन-पत्र दिनांक 5/1/1996 को श्री जिलाधीश महोदय जिला धार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम अम्झेरा तहसील सरदारपुर में उसके भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 188, 189 तथा 190 कुल रकबा 1.829 हेक्टर लगान रुपये 20.21

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ **(सरलाबाई / शासन)**

प्रकरण कमांक निगरानी 1248–पीबीआर / 1999 **जिला–धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.01.2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 27–7–10 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 20–01–2016 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 27–7–10 से 20–01–16 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 20–01–2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1999 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	